

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर **अवैध गांजे का तस्करी करने वाले अभियुक्त को 06 माह का कारावास व** ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन किन्वक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 21/2024 धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय F.T.C.-1/GST/NDPS Act** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **सोहेल पुत्र हासिम निवासी रौरी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर** को **06 माह का कारावास व ₹5,000** के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रवीण कुमार भदौरिया



विवेचक-उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव



पैरोकार- थाना कोतवाली नगर का0 बिजमान सिंह